

विश्वश्री 1382-I-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : 12015 निगरानी

श्रीमती माया बाई पत्नी स्वर्गीय कमर सिंह, आयु 72 वर्ष, जाति रघुवंशी, निवासी : ग्राम हतोडा, तहसील बासोदा, जिला विदिशा

-- निगरानीकर्ता

बनाम

- 118 सोदान सिंह पुत्र दर्शनसिंह, आयु 63 साल निवासी - ग्राम हतोडा तहसील बासोदा जिला विदिशा
- 121 बुराउद्दीन पुत्र श्री शक्ति हुसैन निवासी - सावरकर चौक, गंज बासोदा,
- 131 सौरभ पुत्र श्री रविन्द्र कुमार चौरसिया, निवासी सावरकर चौक गंज बासोदा, जिला विदिशा
- 141 रामकृष्ण पुत्र स्व. कमर सिंह, रघुवंशी, निवासी ग्राम हतोडा, तहसील बासोदा, जिला विदिशा

-- रेसपोडेन्ट्स

निगरानी कर्ता धारा 50 म प्र र राजस्व सहिता विदिशा दिनांक 19.5.2015 न्यायालय अविभागीय अधिकारी राजस्व बासोदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 80 अपील 13-14 व उन्वान सोदानसिंह बनाम माया बाई आदि.

5-6-15 का
श्री. शर्मा
श्री. शर्मा प्रस्तुत

5-6-15
50

5-6-15

3

माननीय न्यायालय

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नकारकः


hsh

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1382-एक/15

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">  प्रशासकीय सदस्य </p>